डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथराम ॥, आर.ए.एस.***

अनवान

वादीगण – 1.कलाराम 2.भोमाराम पि.गोरखाराम 3.झीमोंदेवी पत्नि गोरखाराम जाति मेगवाल, निवासी सुरते की ढाणी, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.मूलाराम 2.धनाराम पि.गंगाराम 3.रामाराम 4.गोगाराम पि.नेनाराम 5.चेनीदेवी पत्नि नेनाराम जाति जाट 6.भीखाराम पुत्र वनाराम 7.तीजोदेवी पत्नि जीयाराम 8.मंगलाराम 9.पुरखाराम 10.तगाराम 11.पोकरराम पि.जीयाराम 12.दमाराम 13.भेराराम 14.गुलाराम 15.सालूराम पि.पूनमाराम 16.मीरादेवी पत्नि पूनमाराम 17.गंगाराम 18.आम्बाराम 19.उमेदाराम पि.नेनूराम 20.पारूदेवी पत्नि नेनूराम 21.दूदाराम पुत्र डाउराम 22.देदाराम 23.भीयाराम 24.श्रवण पि.मगाराम 25.मेवीदेवी पत्नि मगाराम 26.मांगीलाल पुत्र हरूराम 27.रामूदेवी पत्नि हरूराम 28.संतोष पुत्र मगाराम, जाति मेगवाल, निवासी सुरते की ढाणी, तहसील चौहटन 29.हेमाराम पुत्र लाधुराम 30.राउराम पुत्र जोधाराम के का.मु. :– 30/1.पीराराम 30/2.किरसनराम पि.राउराम 30/3.सुन्दर पत्नि राउराम 31.आसूराम 32.धुड़ाराम 33.पुरखाराम 34.मांगाराम पि.जोधाराम 35.सिदाराम पुत्र लाधुराम, जाति मेगवाल, निवासी गुले की बेरी, तहसील सेड़वा, 36.तहसीलदार चौहटन।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री हेमेन्द्रसिंह भाटी**

प्रतिवादी वकील – **एकतरफा**

वाद बाबत 183,188 RT Act.

मुकदमा नं. 82/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री हेमेन्द्रसिंह भाटी** एड. मिनजानिब मुदाई व .... एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन (वर्तमान तहसील धनाऊ) के **मौजा सुरते की ढाणी (धनाऊ) में खसरा सं. 583 रकबा 51.01 बीघा का आया हुआ है। वादीगण की उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे /अतिक्रमण को हटाकर कब्जा पुनःवादीगण को सुपुर्द करने का आदेश तहसीलदार धनाऊ को दिया जाता है। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु तहसीलदार धनाऊ को अधिकृत किया जाता है।** लगातार शेष पृष्ट पर..... .... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राप्ती तक .... को अदा करे।

बसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.11.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.........................

ओहदा ....

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा इश्तहार पईमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा ... गवाहान ... कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:43:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 82/2018

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम ॥, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण – 1.कलाराम 2.भोमाराम पि.गोरखाराम 3.झीमोंदेवी पत्नि गोरखाराम जाति मेगवाल, निवासी सुरते की ढाणी, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.मूलाराम 2.धनाराम पि.गंगाराम 3.रामाराम 4.गोगाराम पि.नेनाराम 5.चेनीदेवी पत्नि नेनाराम जाति जाट 6.भीखाराम पुत्र वनाराम 7.तीजोदेवी पत्नि जीयाराम 8.मंगलाराम 9.पुरखाराम 10.तगाराम 11.पोकरराम पि.जीयाराम 12.दमाराम 13.भेराराम 14.गुलाराम 15.सालूराम पि.पूनमाराम 16.मीरादेवी पत्नि पूनमाराम 17.गंगाराम 18.आम्बाराम 19.उमेदाराम पि.नेनूराम 20.पारूदेवी पत्नि नेनूराम 21.दूदाराम पुत्र डाउराम 22.देदाराम 23.भीयाराम 24.श्रवण पि.मगाराम 25.मेवीदेवी पत्नि मगाराम 26.मांगीलाल पुत्र हरूराम 27.रामूदेवी पत्नि हरूराम 28.संतोष पुत्र मगाराम, जाति मेगवाल, निवासी सुरते की ढाणी, तहसील चौहटन 29.हेमाराम पुत्र लाधुराम 30.राउराम पुत्र जोधाराम के का.मु. :– 30/1.पीराराम 30/2.किरसनराम पि.राउराम 30/3.सुन्दर पत्नि राउराम 31.आसूराम 32.धुड़ाराम 33.पुरखाराम 34.मांगाराम पि.जोधाराम 35.सिदाराम पुत्र लाधुराम, जाति मेगवाल, निवासी गुले की बेरी, तहसील सेड़वा, 36.तहसीलदार चौहटन।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री हेमेन्द्रसिंह भाटी**
प्रतिवादी वकील – **एकतरफा**

सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक) सत्यमेव जयते चौहटन

निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 183,188 RT Act.

दिनांक :– 30.11.2022

वादीगण के वाद संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी की भूमि का खेत मौजा सुरते की ढाणी, पटवार क्षेत्र धनाऊ खसरा नम्बर 583 रकबा 51.01 बीघा आया हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खेतों के मध्य पुरानी कदामी माठे स्थापित है तथा सेढ़ों पर पेड़ पौधे खड़े है। कई वर्षों से एवं वाद का कारण पै[illegible] पूर्व पक्षकार शांति पूर्वक अपने अपने हिस्सों में काश्त करते आ रहे थे। कोई [illegible] नहीं थी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:43:55 IST
Reason: SelfAttested

विगत 5–6 वर्षो से वर्षात के समय प्रतिवादीगण वादीगण के सेढ़े पर कायम कदामी तोड़कर एवं पेड़ पौधों को काटकर वादीगण के खेत पर अतिक्रमण करते आ रहे है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

प्रतिवादीगण ने जब जब अतिक्रमण किया तब तब विवाद पैदा हुआ और गांव के मौजिज लोगों ने बीच बचाव कर प्रतिवादीगण को समझाईस कर अतिक्रमण हटाया।

वादीगण ने एक राजस्व आवेदन सं. 367/2013 अनवान कलाराम वगैरा नाम जयराम वगैरा अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी चौहटन के न्यायालय में पेश कर अपनी खातेदारी के खेत खसरा सं. 583 मौजा सुरते की ढाणी के चारों तरफ नेखमबन्दी करने का निवेदन किया जिस पर श्रीमान के न्यायालय द्वारा मेरी खातेदारी के खेत खसरा सं. 583 मौजा सुरते की ढाणी के चारों तरफ नेखमबन्दी करने का आदेश जारी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार चौहटन द्वारा पालना रिपोर्ट दिनांक 19.07.2016 पेश की । जिसमें वादीगण के खेत खसरा सं. 583 मौजा सुरते की ढाणी पर प्रतिवादीगण का कुल रकबा 10.14 बीघा पर अतिक्रमण पाया गया ।

नेखमबन्दी आदेश की पालना में की गई पेमाईश से प्रतिवादीगण को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए मना कर दिया।

इसलिए वादीगण ने वाद पेश कर अपनी खातेदारी भूमि के खेत खसरा सं. 583 मौजा सुरते की ढाणी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये अतिक्रमण को हटाते हुए कब्जा सव्यय वादीगण को पुनः दिलाने बाबत् इस्तदुआ चाही । प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त खातेदारी की भूमि पर अवैध अतिक्रमी की हैसियत से जबरदस्ती काबिज है इसलिये वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली एवं कब्जा प्राप्ति हेतु यह वाद प्रस्तुत करना जरूरी हो गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजि.एडी सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की आरे से वादी साक्ष्य में PW–1 कलाराम पुत्र गोरखाराम, PW–2 मोटाराम पुत्र अलसाराम के शपथ पत्र न्यायालय में पेश किये गये तथा लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श–1 मौका फर्द नेखमबन्दी, प्रदर्श–2 मौका फर्द के साथ सलंग्न नक्शा, प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत् 2069–2072 खेत खसरा सं. 583 मौजा सुरते की ढाणी, प्रदर्श–4 आंशिक नक्शा खेत खसरा सं. 583 मौजा सुरते की ढाणी न्याया[illegible] Exhibit करवाये।

पत्रावली पेश हुई । [illegible] वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी की भूमि का खेत मौजा सुरते की ढाणी, पटवार क्षेत्र धनाऊ खसरा नम्बर 583 रकबा 51.01 बीघा आया हुआ है। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा समय समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:43:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

पर अतिक्रमण किया गया। जिससे दुखी होकर वादीगण द्वारा अपने खेत की माप करवाने हेतु नेखमबन्दी आदेश आवेदन सं. 367/2013 अनवान कलाराम वगैरा नाम जयराम वगैरा अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय द्वारा जारी करवाये। जिसकी पालना में तहसीलदार चौहटन की मौका फर्द रिपोर्ट 19.07.2016 अनुसार वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर कुल 10.14 बीघा का अतिक्रमण प्रतिवादीगण द्वारा किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा किये अतिक्रमण को हटाते हुए कब्जा सव्यय वादीगण को पुनः दिलाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन/अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजों एवं नेखमबन्दी मौका फर्द दिनांक 19.07.2016 का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा सं. 583 रकबा 51.01 बीघा भूमि में कुल रकबा 10.14 बीघा भूमि पर पड़ौसी खातेदार/प्रतिवादीगण का अतिक्रमण बताया गया है। प्रतिवादीगण वादीगण के उक्त खातेदारी की भूमि पर अवैध अतिक्रमी की हैसियत से जबरदस्ती काबिज है इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली एवं कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सुरते की ढाणी (धनाऊ) के खसरा सं. 583 रकबा 51.01 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे/अतिक्रमण को हटाकर कब्जा पुनः वादीगण को सुपुर्द करने का आदेश तहसीलदार धनाऊ दिया जाता है। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु तहसीलदार धनाऊ को अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आदेश की पालना हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) सत्यमेव जयते चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:43:55 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम ।।)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रैक) चौहटन

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक)चौहटन